# <u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –118/2021
शोभा कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । |
|---|---|---|
| 16.02.2023 | प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर **सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10200/2020 में दिनांक** 30.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 23.01.2020 को लिये गये निर्णय के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 09.02.2022 में अंकित है कि<br>***"Accordingly, we dispose of the present petition as not passed, however, with the aforesaid liberty and in case appropriate representation/revision petition is filed by the petitioner before the concerned Divisional Commissioner, within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed off within a period of eight weeks, thereafter."***<br>उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।<br>वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर, प्रखंड के ग्राम पंचायत जटौलिया में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु अनुज्ञप्ति के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें दो अन्य के अलावे इस वाद की आवेदिका | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

(शोभा कुमारी) एवं इस वाद की विपक्षी सं0–7 के द्वारा आवेदन किया गया । आवेदन की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोतीपुर से कराई गई, जाँच में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोतीपुर ने आवेदिका के आवेदन को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विचार करने के लिए तथा विपक्षी सं0–7 के आवेदन को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उनके आवेदन को नियमानुकुल नहीं पाते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दिया। इसके बाद प्रथम सूचि निकला। जिसमें विपक्षी सं0–7 को जानकारी हुई, तो उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दिया। जिस आपत्ति पर विचारोपरांत जिला चयन समिति ने अपना निर्णय दिया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आवेदिका जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति वास्ते अनिवार्य सभी अर्हता जैसे मैट्रिक पास, कम्प्यूटर ज्ञान इत्यादि पूरा करती है। अनुज्ञप्ति हेतु जो रिक्तियाँ निकली थी उसमें आरक्षण श्रेणी पिछड़ा वर्ग की महिला थी, जिससे आवेदिका संबंधित है। परंतु विपक्षी सं0–7 पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है। आगे आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोतीपुर ने भी आवेदिका के पक्ष में अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा किया था। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत 19.06.2018 के प्रतिवेदन के अनुसार भी विपक्षी सं0–07 का कम्प्यूटर तथा आचरण प्रमाण–पत्र से संबंधित कोई कागजात संलग्न नहीं रहना बताया गया है, फिर भी अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–07 का चयन कर लिया गया है, जो गलत है। अंत में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

वहीं विपक्षी सं0–07 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) के द्वारा अपने आवेदन के साथ अपनी योग्यता प्रमाण–पत्र तथा अपने आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान होने संबंधी बात का उल्लेख करने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी ने दिनांक 19.06.2018 को अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन की सूचि निर्गत किया, जिसमें विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) के कम्प्यूटर ज्ञान होने संबंधी कॉलम के संबंध में उल्लेख किया गया कि विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान संबंधित कोई भी कागजात संलग्न नहीं किया गया है, जबकि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 में आवेदन के साथ कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र संलग्न करने का निदेश नहीं दिया गया है, केवल कम्प्यूटर की जानकारी होने

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| | संबंधी बात का उल्लेख करना है। दिनांक 19.06.2018 की प्रथम सूचि निकलने के बाद विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) ने दिनांक 14.03.2019 को आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी एवं अन्य सभी वाछित कागजात दाखिल किया है। दिनांक 23.01.2020 को जिला स्तरीय चयन समिति ने पाया कि आवेदिका शोभा कुमारी मैट्रिक पास है तथा विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) इंटर पास है, एवं दोनो के पास कम्प्यूटर ज्ञान है, इसलिए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के कंडिका 9(V) के अनुसार अधिक योग्यता एवं अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देते हुए विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) का उम्र शोभा कुमारी से अधिक होने तथा सबसे अधिक योग्यता होने के कारण उनके नाम से अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षी सं0–07 के सभी कागजातों के सत्यापनोपरांत उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।<br><br>वही विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अपना आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है।<br><br>उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मोतीपुर प्रखंड जटौलिया में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें आवेदिका एवं विपक्षी सं0–07 के अलावे दो और अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि शोभा कुमारी के आदेवन को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोतीपुर ने जाँचोपरांत सही पाते हुए दिनांक 28.02.2018 को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया। परंतु विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) के आवेदन को त्रुटिपूर्ण एवं नियमानुकूल नहीं पाते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर को प्रेषित किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| | अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 19.06.2018 को सूची निर्गत हुआ, जिसमें अंकित है कि विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) ''**आवेदक इंटर उत्तीर्ण है। इनके द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान एवं आचरण प्रमाण–पत्र से संबंधित कोई कागजात संलग्न नहीं किया गया है,'' के आधार पर अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया।** इसके बाद दिनांक 14.03.2019 को विपक्षी सं0–07 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन देकर वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया। जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने अपना निर्णय लिया है।<br>उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख में विपक्षी सं0–07 द्वारा दिये गये आवेदन पर कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कॉलम में ADCA लिखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु कई चरणों से गुजरना होता है, जिसमें यही देखा जाता है कि कही से कोई गड़बड़ी नहीं हो भले ही विपक्षी सं0–07 के आवेदन को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कागजात संलग्न नहीं रहने के कारण त्रुटिपूर्ण पाया है परंतु बाद में दिनांक 14.03.2019 को उनके द्वारा सभी वांछित कागजात प्रस्तुत किया गया है । जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने अपना निर्णय लिया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 9 (V) में अंकित है कि ''**उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।**'' उक्त नियम के आधार पर आवेदिका शोभा कुमारी एवं विपक्षी सं0–07 (अंजु कुमारी) दोनो के योग्यता समान रहने के कारण उम्र को वरीयता देते होते हुए जिला स्तरीय चयन समिति ने अपना निर्णय लिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।<br>निम्न न्यायालय के अभिलेख में रक्षित विपक्षी सं0–07 द्वारा दिनांक 14.03.2019 को जो आवेदन दिया गया है, उसका संधारण | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| | हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन (पत्र का डॉकेट/डायरी) नहीं किया गया है, फिर भी चूंकि उक्त आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, इसलिए प्रथम द्रष्ट्याः अंजु कुमारी द्वारा संलग्न आवेदन/कागजात सही प्रतीत होता है।<br>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है।<br>**लेखापित एवं संशोधित**<br><br>**आयुक्त** **आयुक्त** | |

WEB COPY NOT OFFICIAL